

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग / स्थाईकरण 314-23441 / जो.जयपुर / 2024 / 417

दिनांक-05/6/24

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1965 के नियम 31 एवं 31 ए में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित नर्सिंग कार्मिकों का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये पर राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि से स्थाई किया जाता है -

क.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि
1	अमणी के.के. म.स्वा.कार्यकर्ता	दौसा	02.05.1963	24.02.1994

(राकेश कुमार शर्मा)
 निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / स्थाईकरण 314-23441 / जो.जयपुर / 2024 / 417 दिनांक-05/6/24
 प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित समस्त प्रशासनिक / नियंत्रण अधिकारी ।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
4. आदेश / निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6912247



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
 Sharma
 Designation : Director
 Date: 2024.06.02 10:08:41 IST
 Reason: Approved